

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2024

रायपुर, दिनांक / /2024

//कार्यालय - सूचना//

आदेशानुसार, सत्रावधि (सत्र की अधिसूचना जारी होने के दिनांक से सत्र समापन तक) में आकस्मिक, अर्जित एवं भैषजिक अवकाश के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

01. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी अपने स्तर से स्वीकृत कर सकेंगे।
02. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अर्जित अवकाश एवं भैषजिक अवकाश संबंधित शाखा प्रभारी की अनुशंसा पर संचालक (स्थापना) द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे।
03. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के आकस्मिक, अर्जित एवं भैषजिक अवकाश की नस्तियाँ सचिव को अंकित की जाए।

इस प्रकार की प्रक्रिया आगामी आने वाले सत्रों में भी रहेगी।

आदेश से,

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 12/01/2024

पृ. क्रमांक 450 /वि.स./स्था./2024

प्रतिलिपि:-

01. कार्यालय मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. समस्त शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष।

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा